Laser weapon capability of India

1713. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE:
SHRI MAHENDRA PRASAD:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India has developed laser weapons capability; and

(b) if so, the progress made so far in this regard and how far the country remains away from the actual development of laser-guided weapons and warning system?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI D. L. BAITHA): (a) Research & Development work is being carried out for developing technology, related to laser based systems.

(b) Work is in the initial stages.

1714. [*Transferred to 17th August, 1989*]

दंत चिकित्सा परिषद् के सदस्य को चुनाव लड़ने से वंचित करना

1715. **श्री अश्विनी कुमार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1988 में भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् की आम बैठक में अध्यक्ष का चुनाव हुआ था तथा ऐसे चुनावों में किसी सदस्य को भाग लेने से वंचित करने का कोई प्रावधान नहीं है ;

(ख) यदि हां तो, क्या यह सच है कि परिषद् के सचिव द्वारा डा० आर० पी० सिंह को उक्त चुनाव में भाग लेने से रोक दिया गया था और इस प्रकार उन्हें अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव लड़ने के अवसर से वंचित कर दिया गया था ;

(ग) क्या डा० आर० पी० सिंह ने सचिव की उक्त कार्यवाही के विरुद्ध पटना उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी, जो कि उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर ली थी और उक्त न्यायालय ने परिषद् में उनकी सदस्यता को जारी रखने का आदेश जारी किया है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि न्यायालय द्वारा आदेश जारी कर दिए जाने के बावजूद परिषद् के अध्यक्ष अभी भी अपने पद पर यथापूर्व कार्यरत हैं ;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष के पद के लिए नए चुनाव करवाने का विचार रखती है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) परिषद् में नए सचिव को नियुक्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) पटना उच्च न्यायालय ने डा० आर० पी० सिंह द्वारा दायर रिट याचिका पर 21-12-1988 को एक आदेश जारी किया है कि वे रिट याचिका पर फैसला होने तक भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् के सदस्य बने रहेंगे ।

(घ) इस न्यायालय ने भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष के बने रहने अथवा न बने रहने के बारे में कोई आदेश नहीं दिए हैं ।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(च) परिषद् द्वारा वर्तमान सचिव की पुनर्नियुक्ति की गई है । तथापि, सरकार द्वारा परिषद् के नियमों और विनियमों के अनुसार इस मामले की जांच की जा रही है ।